

18.07.2024 प्रावली पेश हुई।

प्राथमिक एवं अधिकृत प्राथमिक अनुपस्थित

रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई  
गई, बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं।

इसके प्रति होता है प्राथमिक एवं  
अधिकृत प्राथमिक अपने प्राथमिक-पत्र को  
लेकर जम्मा नहीं हैं अतः प्राथमिक-पत्र  
असम हाजिरी सूची में इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है।

प्रावली केवल सुभार होकर  
नम्बर के रूप में जारी प्राथमिक सूची

से। (पुनी)

सहायक कलेक्टर, सांचीर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

